छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –267 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02402**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''चन्द्रा स्फिंक्स'', प्रमोटर–श्री राजकुमार नानजिआनी,
पता–ए–32, गायत्री नगर, गोकुल अपार्टमेंट के सामने शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''चन्द्रा स्फिंक्स'' पता–पुरैना, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/07/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''चन्द्रा स्फिंक्स'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA150618000186** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 15.06.2018 से पंजीकृत किया गया भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(l)(D) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में आबंटितियों से प्राप्त राशि एवं उपयोग रेरा विनिर्दिष्ट खाते के माध्यम से नियमानुसार करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक–06/रेरा/2018/158, दिनाँक 19.04.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 01.05.2024 के अनुसार यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, रेरा विनिर्दिष्ट खाता का नियमानुसार संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 24.05.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया, किन्तु रेरा प्रावधानों के अनुसार परिपालन नहीं किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोला गया है और आबंटितियों से प्राप्त राशि को रेरा विनिर्दिष्ट खाता में जमा किया गया है। इस प्रकार अनावेदक द्वारा रेरा अधिनियम, 2016 की धारा–4(2)(l)(D) का अनुपालन किया जा रहा है। उपरोक्त	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक –267 प्रकरण क्रमांक–**M-COM-2024-02402**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''चन्द्रा स्फिंक्स'', प्रमोटर–श्री राजकुमार नानजिआनी,
पता–ए–32, गायत्री नगर, गोकुल अपार्टमेंट के सामने शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–''चन्द्रा स्फिंक्स'' पता–पुरैना, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	तथ्यों के आधार पर अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत अनावेदक को भवष्यि में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुये प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	